डॉ. एल. बी. सिंघल, चेयरमैन व सी.ई.ओ , एन. एस. ई. जेड प्राधिकरण की अध्यक्षता में , एन एस ई जेड सर्विस सेंटर के सम्मेलन कक्ष में 26/03/2018 को सुबह 11:30 पर हुई एन एस ई जेड प्राधिकरण की बैठक का विवरण।

प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्तिथ थे।

1. श्री एस.एस.शुक्ला , संयुक्त विकास आयुक्त, एन. एस. ई. जेड, नोएडा।
2. मोहम्मद कमर एज़ाज़ , एफ टी डी ओ कानपुर।
3. श्री अमित मेहरा, अध्यक्ष एवं प्रबंद निर्देशक , मैसर्स मेडिको इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड , एन एस ई जेड, नोएडा।
4. श्री पुनीत कपूर , सांझेदार, मैसर्स ए पी के आइडेंटिफिकेशन, एन एस ई जेड, नोएडा

उपरोक्त के अलवा प्राधिकरण की सहायता के लिए बैठक के दौरान मोहम्मद सालिक परवेज़ , उपायुक्त, कस्टम्स एन. एस. ई. जेड; श्री राजेश कुमार , उपविकास आयुक्त एन. एस. ई. जेड; श्री आर. पी. वर्मा, सचिव, एन. एस. ई. जेड प्राधिकरण; श्री धर्मवीर, वरिष्ठ ए ओ, एन. एस. ई. जेड भी उपस्तिथ थे। अन्य भागीदारो की सूची अनुलग्नक -ए के साथ संग्लन है।

बैठक के आरम्भ में, अध्यक्ष महोदय ने सभी भागीदारो का स्वागत किया, और संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यवृत में शामिल सभी बिन्दुओ को एक एक करके चर्चा के लिए उठाया गया। विचार-विमर्श /लिए गए निर्णय का सारांश इस प्रकार से है:

1. **16/03/2017 को आयोजित एन. एस. ई. जेड प्राधिकरण को बैठक के विवरण की अभिपुष्टि :-**

एन. एस. ई. जेड प्राधिकरण को सूचित किया गया की 04/01/2018 को हुई एन. एस. ई. जेड प्राधिकरण की बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, 04/01/2018 को हुई बैठक के विवरण की पुष्टि कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एन. एस. ई. जेड प्राधिकरण ने एस. ई. जेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उपनियम 14 के संबंध में प्रदिकरण की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयो के अनुपालन की समीक्षा की तथा 04/01/2018 को हुई इसकी बैठक में प्राधिकरण दुवारा लिए गए निर्णयो के किर्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

प्राधिकरण दुवारा अनुमोदित वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट की समीक्षा:- प्राधिकरण दुवारा अनुमोदित वर्ष 2017-2018 के बजट प्रावधानों और इसके 15/03/2018 तक के उपयोग/परिणाम को प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया:-

क्रम संख्या	विवरण	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वर्ष 2017-2018 के बजट प्रावधान	15/03/2018 तक प्राप्त होने वाली आय की वास्तविक प्राप्ति	31/03/2018 तक प्राप्त होने वाली आय की अपेक्षित प्राप्ति	कुल
1	2	3	4	5	6
ए 1	अनुमोदित आय पट्टा किराया	2734.00	2681.26	20.00	2701.26
	प्रयोगकर्ता शुल्क	640.00	624.11	0.16	624.27
	स्थायी जमा पर ब्याज	500.00	412.08	87.92	500.00
	अन्य	120.00	959.79	0.00	959.79
	कुल	3994.00	4677.24	108.08	4785.32
ए 2	15/03/2018 तक एफ डी सहित उपलब्ध कोष बैंकों में उपलब्ध कोष		14676.69	0.00	14676.69
	कैनरा बैंक		480.47	0.00	480.47
	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सी/ए		60.94	0.00	60.94
	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया एस/ए		656.07	0.00	656.07
	कुल		15874.17	0.00	15874.17
बी	अनिमोदित व्यय गौण कार्य ढांचागत विकास (पूंजी व्यय)	8602.23	1656.09	0.00	1656.09
	रख रखाव	700.00	417.17	1.95	418.12
	किराया उपशुल्क एवं कर	200.00	208.48	61.52	270.00
	एफ टी ई /डी ई	10.00	0.00	0.00	0.00
	पेशेवर शुल्क/प्रभार	60.00	30.68	3.46	34.14
	विज्ञापन एवं प्रचार	5.00	2.12	0.00	2.12
	कार्यालय व्यय	70.00	55.19	2.00	57.19

	वेतन एवं मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	विविध व्यय	200.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	9847.23	2368.73	70.90	2439.63

निर्णय: एन एस ई जेड प्राधिकरण ने यहाँ चल रही परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति/ कोष के इस्तेमाल के सम्बन्ध में 2017-18 की एस ई जेड प्राधिकरण नियम 2009 के नियम 10(2) के अंतर्गत समीक्षा की । प्राधिकरण ने पाया की एन एस ई जेड प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017-18 के अनुमोदित बजट प्रावधानों के अनुसार आय के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है ।

एन एस ई जेड प्राधिकरण के सदस्यों ने देखा कि वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की तुलना में वास्तविक व्यय उतना नहीं हुआ है । इसके कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई । वर्ष 2017-18 के दौरान आनुपातिक रूप से कम व्यय के कारणों का विवरण निचे दिया गया है:

i. ई ब्लॉक में 4 लिफ्टों को बदलने, सर्विस सेंटर की फेस लिफ्टिंग, एस डी एफ-ए, बी, सी ब्लॉक तथा सर्विस सेंटर के प्रथम तल के नवीकरण के कार्य जारी करने के समय एन बी सी सी द्वारा स्वीकृति अनुमानित लागत 1033.84 लाख रूपये थी, जबकि जारी निविदा एन बी सी सी प्रभारो के बिना 1033.78 लाख रुपए थी । अतः इन कार्यों के सन्दर्भ में 433.84 लाख रुपयों की बचत की गई थी ।

ii. 4 कि.मी की चारदीवारी बनाने और सभी एस डी एफ, सर्विस सेंटर भवन अवं स्टाफ क्वार्टरों के चारो और मौजूदा नालों की मरमत और उन्हें ढकने का कार्यों को एन बी सी सी ने त्रिविदा जारी करने समय सम्मिलित किया था । इसकेइसके लिए स्वीकृति अनुमानित लागत 1941.60 लाख रूपये थी जबकि टेंडर 1175.99 लाख रूपये के दिए गए थे जिसमें एन बी सी सी के शुल्क शामिल नहीं थे । अतः उन कार्यो में 765.61 लाख रुपयों की बचत की गई ।

iii. एस डी एफ एफ, जी, एच और आई ब्लॉक में अग्निशामक के कार्य हेतु एन एस ई जेड को 896.39 लाख रुपयों की स्वीकृति मिली थी जबकि एन बी सी सी प्रभार रहित निविदा 528.88 लाख रूपये की थी । अतः इस कार्य में 367.51 लाख रूपये की बचत रही ।

vi. एस डी एफ जे एंड के ब्लॉक के नवीकरण तथा गेस्ट हाउस के नवीकरण/मरम्मत का कार्य एन बी सी सी द्वारा निविदा के समय सम्मिलित कर लिया गया था जिससे 128.91 लाख रुपयों की बचत हुई ।

v. मौजूदा सड़कों को मजबूत करने के कार्य की अनुमानित लागत 1097.98 लाख रूपये स्वीकृत हुयी थी जबकि इसकी निविदा एन बी सी सी प्रभारों को हटाकर 713.98 लाख रुपये की जारी की गई थी जिससे इस कार्य में 384.00 लाख रुपयों की बचत हुई ।

vi. एस टी पी के लिए 1500.00 लाख रुपये की राशि दर्शाई गई थी लेकिन प्राधिकरण द्वारा 04.01.2018 को हुई इसकी बैठक में एस टी पी को विकसित न करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ऐसी सुविधा को नोएडा प्राधिकरण द्वारा पहले ही विकसित किया जा चूका है । अतः वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान के अनुसार 8602.23 लाख रुपये के अनुमानित व्यय में से 1500.00 लाख रुपये के इस कार्य को हटा दिया गया है ।

vii एस डी एफ - एफ, जी, एच और आई के नवीकरण हेतु 1000 लाख रुपये की राशि दर्शाई गयी थी परंतु 2017-18 के दौरान कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। अतः 1000 लाख रुपये की राशि का यह कार्य भी वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान की अनुमानित लागत 8602.23 लाख रुपयों के व्यय से वापस ले लिया गया समझा जा सकता है।

viii. बची हुयु सड़को के पुननिर्माण, दो उधानो को पुनर्विकसित करने , सी डब्ल्यू सी की चार दीवारी और जिम तथा खेल के मैदान के कार्यों हेतु 2500 लाख रुपयों के बजट प्रवधानों में से 1172.83 लाख रुपये के कार्य जारी किए गए (इनमें इन्हें क्रियान्वित करने वाली एजेंसीयों के सेंटेज शुतक और आकस्मिक ख़र्चे शामिल नहीं हैं।

ix ओवरहेड (व्योमस्थ) पानी की टंकी के निकट उद्यान की चारदीवारी की मरम्मत के लिए 146.17 लाख रुपये की राशि दर्शाई गई थी लेकिन यह कार्य वर्ष 2017-18 में शुरू नहीं किया जा सका।

बचत/ विशिष्ट राशियों का विवरण निचे दिया है:

(लाख रु. में)

क्र. स.	कार्य का नाम	बचत/ विशिष्ट राशि
i.	ई ब्लॉक में 4 लिफ्टों को बदलने, सर्विस सेंटर की फेस लिफ्टिंग, ए, बी, सी ब्लॉक में एस दी एफ और सर्विस सेंटर के प्रथम तलके नवीकरण का कार्य	434.84
ii.	4 कि.मी की चारदीवारी बनाने और सभी एस डी एफ, सर्विस सेंटर भवन अवं स्टाफ क्वार्टरों के चारो और मौजूदा नालों की मरमत और उन्हें ढकने का कार्य	765.61
iii.	एस डी एफ, जी, एच और आई ब्लॉक, एन एस ई जेड में अग्निशामक के कार्य	367.51
iv.	एस डी एफ जे एंड के ब्लॉक के नवीकरण तथा गेस्ट हाउस	128.91

	के नवीकरण/मरम्मत का कार्य	
V.	मौजूदा सड़कों को मजबूत करने के कार्य	384.00
Vi.	1500.00 लाख रूपयों के बजट प्रावधानों की राशि प्रयोग में नहीं लायी गयी।	1327.17
	कुल	3407.04

वर्ष 2017-18 के लिए 8602.23 रूपये का प्रावधान किया गया था। 4995.39 लाख रूपये पिछले वर्ष से कैरी फॉरवर्ड (आगे ले जाए गए) किए गए थे। वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए बजट प्रावधानों, बचतों, परियोजनाओं की वापसी और भुगतान की राशि के सारांश इस प्रकार हैं:

बजट प्रावधान (1)	नहीं दी गयी/ वापस की गयी परियोजना	शेष (3)= (1)-(2)	बचत विशिष्ट राशि	भुगतान की जाने वाली राशि (5)=(3)-(4)	भुगतान की गयी वास्तविक राशि (6)	भुगतान किया जाने वाला शेष (7)=(5)-(6)
8602.23	2646.17	5456.06	3407.04	2549.02	1656.09	892.93 (आकस्मिक और सेंटज शुल्क शामिल नहीं)

वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानित लागत पर आधारित था, फिर भी कार्यों को कम लागत पर किया गया था जिससे बचत हुई। निविदा लागत , एन बी सी सी को 15.03.2018 को भुगतान की गयी सटीक राशि और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली शेष राशि वर्ष 2018-19 क बजट प्रावधान में दिखाई गयी है जिसे कार्य विवरण की मद संख्या 4 में दिखाया जा सकता है। प्राधिकरण ने यही देखा था।

3. किराया, वसूली और करों के संदर्भ में बजट प्रावधान की वृद्धि- यह सूचित किया गया था कि किराया वसूली और करों के अंतर्गत (1) नोएडा प्राधिकरण को इसके द्वारा एन एसई ज़ेड को आबंटित जमीन का पट्टा किराया, (2) सिटी ऑफिस के लिए एस टी सी, (3) बिजली

बिलों, (4) आयकर मामलों में बचाव (प्रतिवादी) की फीस आदि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित बजट प्रावधान की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 15/03/2018 तक व्यय में 8.48 लाख रूपये की बढ़ोतरी हुई जिसके वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिथि तक 70 लाख रुपये तक बढ़ जाने की आशा है। अतः उसे ही अनुमोदित करने का प्रस्ताव किया गया।

निर्णय: प्राधिकरण ने विचार - विमर्श के किराये, वसूली और करों के लिए 70 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी।

4. वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन:- वर्ष 2018-19 के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक बजट इस प्रकार है-

वार्षिक 2018-19 के लिए वार्षिक बजट

क्र. सं.	विवरण	रु. लाख में
1.	2.	3.
ए-1	अनुमानित आय	
	पट्टा किराया	3000
	प्रयोगकर्ता प्रभार	704
	स्थायी जमा पर बयाज	625
	अन्य	732
	कुल	4461
ए-2	15.03.18 तक एफ दी सहित उपलब्ध कोष	14676.69
	बैंकों उपलब्ध कोष	
	कैनरा बैंक	480.87
	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया- सी ए	60.94
	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया - एस ए	656.07
	कुल	15874.17
	कुल जोड़	20335.17
बी	अनुमानित व्यय	
	गौण कार्य ढांचागत विकास (पूंजीव्यय)	7436.15
	रखरखाव	725.00
	किराया उपशुल्क और	300.00

	एफ टी ई/ डी टी ई	10.00
	पेशेवर शुल्क/ प्रभार	50.00
	विज्ञापन एवं प्रचार	5.00
	कार्यालय व्यय	100.00
	वतन एवं मजदूरी	0.00
	विविध व्यय	100.00
	कुल	8726.15

4.1 <u>वर्ष 2018-19 के लिए जारी कार्यों के सम्बन्ध में व्यय की प्रदान की गयी लागत का विघटन (ब्रेक-अप)</u>

4.1ए. <u>एन बी सी सी को सौंपे गए कार्य की सूची</u>

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	एन बी सी सी और आकस्मिक शुल्क रहित निविदा लागत	एजेंसी सेंटेज सहित लागत और संभावित समापन	15/03/18 तक भुगतान किया जा चुका	वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया जाने वाला शेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एन एस ई जेड और एस डी एफ ब्लॉक "एम" का निर्माण	21.43.00	1928.74	2170.93	1900.00	270.93	कॉलम संख्या 5 में दिखाई गई राशि पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई है
2.	एस डी एफ "ई" ब्लॉक में 4 लिफ्टों को बदलना	135.11		91.32	121.59	-30.27	----वही----
3.	सर्विस सेंटर भवन	132.00	1033.78	91.30	118.98	-27.68	----वही----

	के प्रथम तल का नवीकरण						
4.	सर्विस सेंटर भवन एन एस ई जेड में लिफ्ट के प्रावधान के साथ-साथ फेस लिफ्टिंग/नवीकरण	261.41		201.95	235.26	-33.31	----वही----
5.	एस डी एफ ब्लॉकस ए,बी,और सी, एन एस ई जेड का नवीकरण	939.10		775.17	843.64	-68.47	----वही----
6.	स्ट्रीट लाईट्स को बदलना	161.22	121.71	137.04	145.09	-8.05	----वही----
7.	4 के एम आर सी सी बाउंड्री वॉल का निर्माण (दूसरा चरण)	1795.43	1175.99	1040.01	1058.38	-18.37	----वही----
8.	सभी एस डी एफ, सर्विस सेंटर भवनों और स्टॉफ क्वार्टरों के चारों ओर मौजूदा नालों की मरम्मत और उन्हें ढकना	146.17		132.09	36.54	95.55	----वही----
9.	एड डी एफ – एफ,जी,एच और आई में अग्नि शामक व्यवस्था का इंतजाम	896.39	528.88	544.62	398.62	146.00	----वही----
10.	एन एस ई जेड, नोएडा में सेंट्रल वर्ज (केंद्रीय सीमा	1097.98	713.98	771.08	274.49	496.59	----वही---

	क्षेत्र) और बाह्य विद्युतिकरण कार्य, और मौजूदा सड़कों को मजबूत करने का कार्य						
11.	एस डी एफ ब्लॉक जे का नवीकरण	308.17	182.46	211.10	164.21	46.89	----वही----
12.	गेस्ट हाउस का नवीकरण/मरम्मत	9.20					----वही----
13.	सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण	71.51	57.83	71.11	52.04	19.07	----वही----
	कुल	8096.69	5743.37	6237.72	5348.84	888.88	----वही---

<u>4.1बी :- एन पी सी सी को सौंपे गए कार्यों की सूची :-</u>

(लाख रूपयों में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	एन पी सी सी और आकस्मिक शुल्क रहित निविदा लागत	पहले ही भुगतान किया गया	वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया जाने वाला शेष	टिप्पणी
1.	एस डी एफ – एल ब्लॉक के निकास क्षेत्र (शॉफ्ट एरिया) और सार्वजनिक क्षेत्र की रंगाई	17.98	14.47	4.50	9.97	कॉल्म संख्या 5 में दिखाई गई राशि पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई है
2.	गेस्ट हाउस के निकट ईंट की चारदीवारी वाले गोदाम क्षेत्र का निर्माण	33.95	25.59	8.49	17.10	----वही----
3.	सर्विस सेंटर के निकट एन एस ई जेड में 4 पार्कों	447.21	342.13	104.89	237.24	----वही----

	का पुनः विकास					
4.	एन एस ई जेड में गेट न. 1 से डी एस सी तक फुटपाथ की मरम्मत और टाइलें बिछाना	18.14	15.29	4.53	10.76	----वही----
5.	एन एस ई जेड में सी डब्लयू डी की चारदीवारी का निर्माण	134.28	109.53	108.64	0.89	----वही----
6.	सॉलिडवेस्ट मैंनेजमेंट (ठोस कचरा प्रबंधन) व्यवस्था स्थापित करना	533.00	309.41	104.82	204.59	----वही----
	कुल	1184.85	816.42	355.87	480.55	----वही----
			एजेंसी शुल्क (5.75% की दर से) मिलाकर 863.36		527.49	

एन बी सी सी और एन पी सी सी को सौंपी गई चालू परियोजनाओं का कुल व्यय :-

(लाख रूपयों में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	एजेंसी सेंटेज सहित समापन लागत	भुगतान किया जा चुका है	वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किया जाने वाला शेष
4.1ए	एन बी सी सी को सौंपे गए कार्य जो	6237.72	5348.84	888.88

	चल रहे हैं।			
4.1बी	एन बी सी सी को सौं गए कार्य जो चल रहे हैं।	863.36	335.87	527.49
कुल		7101.08	5684.71	1416.37

4.2 वर्ष 2018-19 के लिए गौण कार्यों के संबंध में व्यय की अनुमानित लगत क विघटन (ब्रेकअ)

(लख रूयों में)

क्र.सं.	कार्य क विवरण	प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टेड) अनुमानित लगत	भुगतन किय ज चुक है	वर्ष 2018-19 के दौरन भुगतन किय जने वल शेष	एन एस ई जेड प्रधिकरण द्वर स्वीकृत
1.	एन एस ई जेड में सुविध केंद्र र शौचलय क नवीकरण	3.37	0.00	3.37	3.37
2.	स्टॉफ क्वर्टर में सीवर लइन (100 मीटर) को बदलन	5.44	0.00	5.44	5.44
3.	ओवरहैड नी की टंकी के निकट र्कों की चरदीवीरी की मरम्मत	41.30	0.00	41.30	41.30
4.	स्ट्रीट लइट, केंद्रीय सीम क्षेत्र सहित सभी बकी सड़कों क नः निर्मण (10.5 कि.मी.) बिटुमिन रोड (डमर) और 31950 वर्ग मीटर की मस्टिक (सीमेंट-बजरी) रोड	3254.06	0.00	3254.06	2000.00
5.	नलों को ढकने के सथ निकसी व्यवस्थ क निर्मण (दोनों तरफ 10 कि.मी.), नले के 5 कि.मी. के भग में विकट समस्य है और एन बी सी सी इसके निर्मण को एक सल में र करने की क्षमत	5712.69	0.00	5712.69	1500.00

	रखती है, इसकी पहचान करके नाले की दोनों ओर का काम सौंपा जाएगा।				
6.	एन एस ई जेड में एस डी एफ न. एफ,जी,एच तथा आई ब्लॉक्स का नवीकरण/और ई ब्लॉक की वाटरप्रूफिंग (1000 वर्ग मीटर)	3883.83	0.00	3883.83	2000.00
7.	कांफ्रेस हॉल (सम्मलेन कक्ष), एन एस ई जेड) का नवीकरण व विस्तारण	273.53	0.00	273.53	0
8.	सर्विस सेंटर एन एस ई जेड में रिसिप्शन (स्वागत कक्ष) दूसरे तल तक की सीढियों का नवीकरण	36.36	0.00	36.36	36.36
9.	रूम (कक्ष) न. 101,102,104,105,106,110,111,112, 113 की रंगाई और इनमें टाइलें लगाने तथा प्रथम तल उपरोक्त सभी कक्षों (103 व 113 को छोड़कर) व दूसरे तल पर रुम न. 206,209 और 210 की रगांई (पेंटिंग)	51.54	0.00	51.54	51.54
10.	सी डब्लयू सी कांप्लेक्स में एक मंजिला नए माल गोदाम का निर्माण	385.23	0.00	385.23	291.77
11.	जोन कांप्लेकस में सीसीटीवी लगाना	50.00	0.00	50.00	50.00
12.	मामूली (छोटी-मोटी) मरम्मत/रंगाई/विविध कार्य	40.00	0.00	40.00	40.00
13.	कुल	13737.35	0.00	13737.35	6019.78

मौजूदा कार्यों तथा नए कार्यों के संबंध में कुल व्यय :-

कार्य का विवरण	राशि	भुगतान कर दी गई	वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित
एन बी सी सी तथा एन पी सी सी को सौंपे गए चल रहे कार्य	7101.08	5684.71	1416.37 (पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई राशि)
नए गौण कार्यों के संबंध में अनुमानित लागत	6019.78	0.00	6019.78 (नए कार्यों के लिए अनुमानित)
कुल	13120.86	5684.71	7436.15

प्रमुख प्रक्रियाओं जैसे वर्ज सहित बची हुई सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटें आदि, नालों को ढकने के साथ निकासी व्यवस्था, और एस डी एफ न. एफ,जी,एच और आई ब्लॉक्स का नवीकरण तथा ई ब्लॉक की वाटरप्रूफिंग आदि के अनुमानित मोटे आकलन का औचित्य:-

मेसर्स एन बी सी सी लिमिटेड द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किए गए अनुमानित आंकलनों पर एन एस ई जेड प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था। मेसर्स एन बी सी सी के प्रतिनिधियों से उनके द्वारा प्रस्तुत मोटे अनुमान के आधार को स्पष्ट करने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा इसी प्रकार के कार्य हेतु प्रस्तुत पिछले अनुमान के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अनुमान गैर अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। एन बी सी सी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके अनुमान सी पी डब्ल्यू डी द्वारा अधिसूचित डी एस आर दर पर आधारित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2014 के दौरान डी एस आर दरों में 5% की संशोधित वृद्धि हुई थी और इसमें बाद में फिर 7% की संशोधित वृद्धि हुई थी। एन एस ई जेड प्राधिकरण के सदस्यों ने उनसे,सी पी डब्ल्यू डी द्वारा 2014 और 2016 में अधिसूचित डी एस आर दरों में हुई संशोधित वृद्धि और कार्य विशेष की प्रति इकाई माप के लिए पिधले वर्षों में हुए वास्तविक व्यय को ध्यान में रखकर, उन्हें सौंपी गई परियोजनाओं की अनुमानित राशि बताने को कहा। एन एस ई जेड प्राधिकरण के सदस्यों के उपरोक्त सुझाव के अनुसार मेसर्स एन बी सी सी लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अनुमानों पर पुन: कार्य किया गया विशेषकर उपरोक्त 3 कार्यों के लिए, जिनके मोटे अनुमान नीचे दिए गए हैं:-

क्र.स.	कार्य का नाम	बैठक से पूर्व पेश अनुमान	बैठक के दौरान आकलित अनुमान

1.	स्ट्रीट लाइट आदि, केंद्रीय सीमा क्षेत्र सहित बाकि सभी सड़कों का पुनः निर्माण (105 कि.मी. बिटुमिन (डामर या कोलतार) रोड और 319.50 वर्ग मीटर मास्टिक (सीमेंट-बजरी) रोड)	3254.06	2000.00
2.	नालों को ढकने के साथ निकासी व्यवस्था का पुनः निर्माण (दोनो तरफ 10 कि.मी.), नाले के 5 कि.मी. का भाग बेहद समस्या ग्रस्त है और एन बी सी सी इसके निर्माण को एक वर्ष में पूरा करने की क्षमता रखती है, इसकी पहचान करके नाले के दोनो ओर का काम सौंपा जाएगा।	5712.69	1500.00
3.	एन एस ई जेड में एस डी एफ न. एफ,जी,एच,तथा आई ब्लॉक्स का नवीकरण और ई ब्लॉक की वाटरप्रूफिंग (1000 वर्ग मी.)	3883.83	2000.00

प्राधिकरण ने यथा विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2017-18 के दौरान नालों के बेहद समस्याग्रस्त भाग (दोनों ओर 10 कि.मी.) केवल 5 कि.मी. के ही पुनः निर्माण का फैसला किया। प्राधिकरण ने मामूली मरम्मत/रंग-रोगन कार्यों के लिए भी प्रावधान करने का निर्णय किया क्योंकि ये कार्य नियमित प्रकृति के हैं। तदनुसार इस गतिविधि के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 40 लाख रूपये की अनुमानित राशि को अलग किया गया है।

5. मेसर्स एन पी सी सी लिमिटेड और मेसर्स एन बी सी सी द्वारा प्रस्तुत मोटे अनुमान तथा ढाँचागत कार्यों के लिए अनुमति :- अतः वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभ की जाने वाली परयोजना के लिए पूर्व बजटीय प्रावधानों में उल्लिखित तीन कार्यों के संबंध में हुई बैठक के दौरान अनुमान में संशोधन विस्तृत विचार-विमर्श के बाद स्वीकृत किए गए। एन एस ई जेड प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत, एन बी सी सी/एन पी सी सी को सौंपी गई परियोजना का इसकी अनुमानित लागत के साथ विस्तृत विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है:-

क्र.स.	**कार्य का नाम**	**एजेंसी**	**अनुमानित लागत (लाख रूपयों में)**
1.	एन एस ई जेड में सुविध केंद्र पर शौचालय का	एन बी सी सी	3.37

	नवीकरण		
2.	स्टॉफ क्वार्टर में सीवर लाइन बदलना (100 मी.)	-----वही-----	5.44
3.	ओवरहैड टंकी के पास पार्क की चारदीवारी के मरम्मत	"	41.30
4..	सेंट्रल वर्ज सहित बाकी बची हुई सड़को,स्ट्रीट लाइट का आदि का पुनः निर्माण	"	2000.00
5.	नालों को ढकने और निकासी व्यवस्था का पुनः निर्माण	"	1500.00
6.	एस डी एफ न. एफ,जी,एच और आई ब्लॉक्स, एन एस ई जेड का नवीकरण और ई ब्लॉक की वाटर प्रूफिंग (1000 वर्ग मी.)	"	2000.00
7.	सम्मेलन हॉल, एन एस ई जेड का नवीकरण और विस्तारण	"	0 विलंबित
8.	सर्विस सेंटर (सेवा केंद्र) में सीढ़ीयों का नवीकरण	"	36.36
9.	रूम (कक्ष) न. 101,102,104,105,106,110,111,112 और 113 की रंगाई और इनमें टाइलें लगाने, तथा उपरोक्त सभी कक्षों (103 और 113 को छोड़कर) व दूसरे तल पर रूम न. 206,209 और 210 की रंगाई (पेंटिंग)	"	51.54
10.	सी डब्लयू सी कांप्लेक्स में नए माल गोदाम का निर्माण	एन बी सी सी	291.77
11.	जोन कांप्लेकस में सीसीटीवी लगाना	"	50.00
12.	मामूलीमरम्मत के कार्य/रंग-रोगन व अन्य विविध कार्य	"	40.00
13.	कुल		6019.78

<u>**निर्णय**</u>:- प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि मेसर्स एन बी सी सी विस्तृत अनुमान देगी। प्राधिकरण ने संयुक्त विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन करने का निर्णय लिया जिसमें श्री पुनीत कपूर, श्री अमित मेहरा, एन एस ई जेड प्राधिकरण के व्यापार सदस्य और सालिक परवेज़, डी सी सी, श्री राजेश कुमार डी सी सी शामिल रहेंगे। समिति मेसर्स एन बी सी सी द्वारा कार्यों की आवश्यकता/विस्तार विशिष्टता के आलोक में दिए गए विस्तृत अनुमान की जांच करेगी और एन एस ई जेड प्राधिकरण को उपयुक्त सिफारिश करेगी।

6. सर्विस सेंटर (सेवा केंद्र) के रूफटॉप (छत) पर स्थापित सोल सिस्टम (सौर व्यवस्था) का पुन: परिचालनकर्ण:- प्राधिकरण के समक्ष यह बिंदु रखा गया कि एन एस ई जेड में 100 के डब्ल्यू पी स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट की स्थापना और इसे चालू करने का कार्य वर्ष 2010 में 3.02 करोड़ की लागत पर मेसर्स सैंट्रल इलैक्टॉनिक्स लिमिटेड (सी ई एल) को सौंपा गया था। इन 3.02 करोड़ रूपयों में से 1.25 करोड़ रूपये नई एवं पुन:नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिए गए थे और शेष 1.77 करोड़ रूपये डी ओ सी द्वारा ए एस आई डी ई स्कीम के तहत वहन किए जाने थे। रख-रखाव की अवधि के दौरान मैसर्स सी ई एल का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया था। सोलर पावर पैनल ने काम करना बंद कर दिया था। तदनन्तर रख-रखाव का प्रस्ताव मैसर्स स्टेबल अप्लायंसेज को 55000/- रूपये प्रतिमाह की दर पर दिया गया। तथापि, सोलर पैनल कुछ विशेष पुर्जों को बदलने/मरम्मत करने का मामला था, इसलिए सोलर पैनल ने ढंग से काम नहीं किया।

6.2 इसी बीच डी ओ सी ने सूचित किया कि भारत सरकार ने 40 जी डब्ल्यू रूफ टॉप सोलर पावर पैदा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और 2021-22 तक 10 एम डब्ल्यू क्षमता प्राप्त करने के लिए रूफ टॉप सोलर सिस्टम विकसित करने हेतु कार्य आरंभ करने के प्रतिबद्धता प्रमाण पत्र पर एम ओ सी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और इस योजना का क्रियान्वचन निकाय एम एन आर ई (मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनेर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) है। डी ओ सी ने यह भी सूचित किया कि मैसर्स पी ई सी लिमिटेड (डी ओ सी के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान) ने, जो एम एन आर ई द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान है, इस विभाग अंतर्गत विभिन्न संस्थानो में सोलर पावर प्रोजेक्ट (सौर ऊर्जा परियोजना) चलाने की प्रक्रिया को आरंभ करने की अपनी तत्परता को उजागर किया है। डी ओ सी ने उपरोक्त परियोजना को तुरंत लागू करने के कदम उठाने के निर्देश इस विभाग दिए। मैसर्स पी ई सी लिमिटेड ने यह कार्य निविदा प्रक्रिया के जरिये मैसर्स यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आबंटित किया है। यह संस्था एन एस ई जेड में एस डी एफ के रूफ टॉफ पर सोलर पी वी पावर प्लांट से जुड़े 1000 के डब्ल्यू पी क्यूमुलेटिव (संचई) क्षमता ग्रिड को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है और नेट-मीटरिंग का कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत है।

6.3 जैसा कि प्रथम पैरों में कहा गया है कि एन एस ई जेड के रूफ टॉप पर स्थापित सोलर पैनल दो वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है। इसकी मरम्मत हेतु मैसर्स सी ई एल से सम्पर्क किए गए थे, परंतु सी ई एल ने इसकी मरम्मत में कोई रूचि नहीं दिखाई। उपरोक्त के मद्देनजर इस कार्यालय ने मैसर्स यूनिकॉप्स (1000 के डब्लयू पी के सोलर पावर प्रोजेक्ट को लागू करने वाली

संस्था) तथा मैसर्स सी ई एल से भी, इसकी जाँच करने और इसकी मरम्मत करने की अनुमानित खर्च की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

6.4 मैसर्स सैंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मैसर्स यूनिकॉप्स टेक्नोलोजीज लिमिटेड ने 100 के डब्ल्यू पी सोलर पावर सिस्टम के पुन: प्रचालन हेतु अपने प्रस्ताव जमा करा दिए हैं। उन्होंने सूचित किया है कि मौजूदा सोलर पावर प्लांट 100 के डब्ल्यू पी का स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट है। पावर प्लांट के पुन: प्रचालन के लिए दो विकल्प हैं: 1. या तो प्लांट ग्रिड-टाइड पावर प्लांट (ग्रिड सिस्टम पर) में बदला जा सकता है जिसमें मौजूदा पावर कंडिशनिंग यूनिट और बैटरी बैंक के स्थान पर स्ट्रिंग इनवर्टर लगा होगा, या फिर 2. मौजूदा स्टैंड अलोन सिस्टम नया बैटरी बैंक लगाकर और पुरानी पावर कंडिशनिंग यूनिट (ऑफ़ ग्रिड सिस्टम) को पुन: प्रचालित करके फिर से शुरू किया जा सकता है।

दोनों संस्थानो से प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार से हैं:-

6.4ए. मैसर्स सैंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि.:-

मैसर्स सी ई एल द्वारा मौजूदा सोलर पावर प्लांट (स्टैंड-अलोन टाइप/ऑफ ग्रिड) के पुन: प्रचालन हेतु दिया गया विवरण:

क्र.म.	विवरण	लागत (रूपयों में)
1.	मौजूदा पावर कंडिशनिंग यूनिट के पुन: प्रचालन की लागत	4,35,000.00
2.	नया बैटरी बैंक (240 वी. 2000 ए एच) टाइप: टेबुलर जेल वी आर एळ ए	40,92,000.00
3.	मौजूदा वायरिंग को नई वायरिंग से बदलना	2,00,000.00
4.	स्थापना और चालू करना	3,00,000.00
5.	विविध खर्य	1,00,000.00
	कुल लागत	51,27,000.00

मैसर्स सी ई एल द्वारा मौजूदा सोलर पावर प्लांट को ग्रिड-टाइट टाइप में बदलने की लागत का विवरण:-

क्र.म.	विवरण	लागत (रूपयों में)
1.	मौजूदा पावर कंडिशनिंग यूनिटों (50 के वी ए 2 संख्या) को 04 संख्या 25 के वी ए स्ट्रिंग पावर इनवर्टर से बदलने की लागत	10,00,000.00

2.	मौजूदा वायरिंग को नई वायरिंग से बदलना। सभी जंक्शन बॉक्सो, ए सी डी बी, डी सी डी बी आदि को बदलना, अलग करना	15,00,000.00
3.	स्थापना और चालू करना	4,00,000.00
4.	विविध खर्च	1,00,000.00
	कुल लागत	30,00,000.00

- उपरोक्त लागत में नेट मीटरिंग और ग्रिड को आधिक्य (सरप्लस) बिजली भेजने हेतु राज्य बिजली विभाग के साथ सम्पर्क करने की लागत शामिल नहीं है।

6.4बी. मैसर्स यूनीकॉप्स लिमिटेड:-

ग्रिड सोलर पी वी पावर प्लांट मरम्मत और रखरखाव की लागत का विवरण:-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर प्रति वॉट	राशि (रुपयों में)
1.	ग्रिड सोलर पी वी पावर प्लांट पर 100 के डब्ल्यू पी की आपूर्ति पावर कंडिशनिंग यूनिट – 2*50 के वी ए, बैलेंस ऑफ सिस्टम (बी ओ एस), विद्युतीय कार्य और केबल तथा अन्य वस्तुओं (असेसरी) की सप्लाई व स्थापन, 100 के डब्ल्यू पी सोलर पी वी पावर प्लांट की जांच व इसे शुरू करना।	100 के डब्ल्यू पी	18.5	18,50,000.00
	कुल			18,50,000.000

ऑफ ग्रिड सोलर पी वी पावर प्लांट की मरम्मत और रखरखाव तथा पावर बैकअप को बदलने की लागत का विवरण:-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर प्रति वॉट	राशि (रुपयों में)

1.	ग्रिड सोलर पी वी पावर प्लांट पर 100 के डब्ल्यू पी की आपूर्ति पावर कंडिशनिंग यूनिट – 2*50 के वी ए, बैटरी बैंक (240 वी,1200 ए एच)। बैलेंस ऑफ सिस्टम (बी ओ एस), विद्युतीय कार्य और केबल तथा अन्य वस्तुओंकी सप्लाई व स्थापन, 100 के डब्ल्यू पी सोलर पी वी पावर प्लांट की जांच व इसे शुरू करना।	100 के डब्ल्यू पी	60	60,00,000.00
	कुल			60,00,000.000

- जी एस टी वास्तविक दर पर

यह देखा गया कि मैसर्स यूनीकॉप्स लि. द्वारा दिए गए ग्रिड शुल्क कम हैं, जबकि मैसर्स सी ई एल द्वारा दिए गए ऑफ ग्रिड शुल्क कम हैं। इसमें शामिल लागत महत्वपूर्ण है और ग्रिड/ऑफ ग्रिड अपनाए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना है जो विशुद्ध रूप से तकनीकी है।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने ऑन ग्रिड सिस्टम अपनाने का निर्णय लिया है कयोंकि इसमें कम निवेश होगा, इसकी रखरखाव लागत कम है और ये हमारे उद्देश्य को पूरा करेगा। प्राधिकरण ने उपरोक्त कार्य को मैसर्स पी ई सी लि. (एन एस ई जेड में। एम डब्ल्यू सोलर पावर प्रोजेक्ट को लगाने वाली मौजूदा एजेंसी) को सौंपने का निर्णय लिया है जो एफ आर नियम 194 (IV) के अंतर्गत है।

7. सोलर पीवर प्लांट की नेट मीटरिंग के लिए पावर कनेक्शन का लोड बढ़ाने हेतु प्रस्ताव। एन एस ई जेड प्राधिकरण के सामने रखा गया कि दिनांक 30/05/2017 को एन एस ई जेड प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ ही 1000 के डब्ल्यू पी हेतु रूफ टॉफ सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य मैसर्स पी ई सी लि. को सौंप दिया गया था। यह कार्य 7.06 करोड़ की लागत के साथ सौंपा गया था। नेट मीटरिंग को छोड़कर इसको लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रयोजन हेतु पी ई सी द्वारा यू पी सी सी एल से अनुरोध किया था। साथ ही जे डी सी ने नेट मीटरिंग बढ़ाने हेतु निदेशक (वाणिज्यिक) से भी बात की थी।

यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पी ई सी द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के समय यू पी सी सी एल के कार्यकारी अभियंता और अधिकारी भी उपस्थित थे और ई ई द्वारा सूचित किया गया था कि सोलर पैनलों को कनेक्शन/क्षमता स्वीकृत लोड के दोगुने तक बढ़ा कर लगाया जा सकता है।

परंतु अब मुख्य अभियंता (सी ई), वाणिज्यिक, यू पी सी सी एल मेरठ ने दिनांक 05/03/2018 के अपने पत्र में सूचित किया है कि यू पी सी सी एल के दिशा निर्देशों के अनुसार पावर कनेक्शन का स्वीकृत लोड नेट मीटरिंग के लिए सोलर पावर प्लांट की क्षमता के बराबर होना चाहिए। यू पी सी सी एल के कार्यकारी अभियंता (ई ई) ने अपने दिनांक 09/03/2018 के पत्र में अब सूचित किया है कि कार्यलय 640 के डब्ल्यू अतिरिक्त लोड चाहता है, जिसके लिए उन्होंने 57,61,748.00 रूपये लागत का अनुमान पेश किया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	कनेक्शन का स्थान	मौजूदा लोड	आवश्यक अतिरिक्त लोड	अनुमानित राशि (रूपयों में)
1.	ए और बी	20	40	473402.00
2.	बी और सी	20	70	638402.00
3.	डी	20	30	125710.00
4.	ई1	20	80	694402.00
5.	ई2	20	80	694402.00
6.	एफ	20	80	694402.00
7.	जी	20	30	125710.00
8.	एच	20	30	125710.00
9.	जे	50	50	547402.00
10.	के	50	50	547402.00
11.	एल	50	50	547402.00
12.	एम	50	50	547402.00
13.	कुल	360	640	5761748.00

निर्णय:- प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद सोलर पावर प्लांट की नेट मीटरिंग हेतु पावर कनेक्शन के लोड को बढ़ाने के लिए मैसर्स यू पी सी सी एल के पक्ष में 57,61,748.00 रूपयों

की लागत को मंजूरी दी। प्राधिकरण ने मैसर्स पी ई सी लि. को सभी आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन के निर्देश भी दिए जो एम एन आर ई से दूर (सब सिडी) पाने के लिए जरूरी है तथा सोलर सिस्टम को शीघ्रतम आरंभ करने के लिए भी जरूरी है।

8. जोन कांप्लेक्स में दुकानों का आबंटन/अंश परिवर्तन दिशा निर्देश का विशेष मामला प्राधिकरण के समक्ष यह बात रखी गई कि मैसर्स जे पी आर लॉजिस्टिक्स, दुकान संख्या 13ए, सुविधा केंद्र, एन एस ई जेड ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 07/05/2016 से अपनी संरचना को प्रोपराइटरशिप (स्वामित्व) फर्म से बदलकर पार्टनरशिप (साझेदारी) फर्म कर दिया है। स्वामी और साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

पहले	परिवर्तन के बाद साझेदारों का विवरण
श्री जय प्रकाश रावत स्वमी (100%)	1. श्री जय प्रकाश रावत ----------------- 5% 2. श्री ख्याली राम पांडे ---------------- 85% 3. श्रीमती चंपा पांडे -------------------- 10%

यह बताया गया कि 16 भवनों वाला ऑफिस/शॉप कांप्लेक्स (परिसर) वर्ष 2006 के दौरान निर्मित हुआ था और 13-14 में दिए गए विवरणों के अनुसार आबंटित किया गया है। वर्तमान में ऑफिस परिसर/शॉप के आबंटन हेतु अनुरोध और आबंटन पर आबंटन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है। समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, इन दुकानों को निम्न उद्देश्य से चिन्हित करने का निर्णय किया गया था।

1. चिकित्सा सहायता कक्ष, 2. कूरियर सेवाओं, 3. एयर/रेलवे/सड़क परिवहन बुकिंग सेवाओं, 4. मेडिकल स्टोर, 5. कलर प्रिंट/बड़े नक्शों का ब्लू प्रिंट/डाईंग्स आवेदन दो समाचार पत्रों-अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स के जरिए आमंत्रित किए गए थे। विचार-विमर्श के बाद आबंटन समिति ने सहायता कक्ष, कूरियर सेवाओं, कलर प्रिंट/ बड़े नक्शों के ब्लू प्रिंट/डाईंग्स, सी एच ए और रेल/एयर टिकट आदि के लिए दुकाने आबंटित की थी।

सुविधा केंद्र में आबंटित दुकानों का विवरण इस प्रकार से है:-

दु.स.	नाम	क्षेत्रफल	दी जाने वाली सेवा	आबंटन तिथि	आबंटन की वैधता	पट्टा किराया	टिप्पणी
1.	रायल कंस्ट्रक्शन	13.33	बागवानी कार्य	08/05/2012	07/05/2017	शून्य	सेक्शन 5 के तहत

	कंपनी						खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
2.	हेल्पलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि.	13.33	कार्यालय स्थान/साउथ इंडियन फास्टफूड आउटलेट	15/12/2008	15/12/208 के आबंटन पत्र में किरायेदारी अवधि का उल्लेखन नहीं है।		
3.	पुरी ब्रदर्स	13.7	टूर एंड ट्रेवेल्स	27/04/2007	24/04/2018	13257	आबंटी पट्टे किराए का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।
4.	जसपाल सिंह	14.61	फास्टफूड आउटलेट/एस टी डी फोन सुविधा	07/09/2005	06/09/2020	7858	----
5.	रितु कुमारी	12.18	जनरल स्टोर/स्टेशनर्स	07/09/2005	06/09/2020	22172	----
6.	रणजोध सिंह	13.7	खाने-पीने की वस्तुएं और पेय पदार्थों की बिक्री	07/09/2005	06/09/2020	9357	----
7.	एन एस ई जेड एंटरप्रेन्गोर्स एसोसिएशन	53.8	चिकित्सा सुविधाएँ	15/09/2016	-----	-----	कोई किराया नहीं लगा
8.	विशाल	16.39	स्नैक्स,लंच,टी, फ्रेश जूस,स्टेशनर्स/जनरल आइटेम्स	21/09/2016	20/09/2020	शून्य	आबंटी पट्टा किराया नियमित

			आदि की बिक्री				रूप से भुगतान कर रहा है।
9.	शिवा फ्रीट मूवर्स	51.77	आयात/निर्यात माल (कार्गो) का संचालन	05/04/2006	03/10/2017	शून्य	-----
10	जे.के.ट्रांसपोर्ट	9.87	ट्रांसपोर्ट सेवा	21/09/2016	20/09/2020	शून्य	
11	साई पीर ट्रेवेल्स	17.92	टूर एंड ट्रेवेल्स	11/11/2011	10/11/2017	8,546/-	आबंटन रद्द
12	राजीव शर्मा एंड एसोसिएट्स	98	पेशेवर सेवाएं	04/06/2015	03/06/2020	शून्य	आबंटी पट्टा किराया नियमित रूप से भुगतान कर रहा है।
13	सुरेश सिंह सेंगर	48.09	स्नैक्स, लंच, टी, फ्रेश जूस आदि की बिक्री	16/03/2016	14/03/2019	शून्य	
13ए.	जे पी आर लॉजिस्टिक्स	7.93	कूरियर सेवाएं	22/09/2014	21/09/2019	शून्य	
14ए.	प्रियंका सिंह	20.08	फोटोकॉपी,रेल आरक्षण,एयर टिकट,मोबाइल रीचार्ज एंव डोमेस्टिक रेमिटेंस (घरेलू धन प्रेषण)	20/03/2015	19/03/2020	11346	सेक्शन 4 के तहत 24/05/2017 को नोटिस जारी की गई है आबंटी को पी एच (व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया परंतु कोई भी उपस्थित

							नहीं हुआ।
14बी	लोटस क्लीयरिंग एंड फोरवर्डिंग एजेंसी प्रा.लि.	24.08	सी एच ए	22/09/2014	21/09/2019	96916	"
15	विवेक कुमार	5.39	एस टी डी पी सी ओ/हाउस कीपिंग सामग्री	19/01/2006	18/01/2019	शून्य	आबंटी पट्टा किराए का नियमित भुगतान कर रहा है।
15ए	विनीत कुमार	7.15	स्टेशनरी पैकिंग मैटिरियल	28/06/2011	27/06/2019	शून्य	
16	साई मार्किटिंग एंड फोरवर्डिंग एजेंट	24.45	कस्टम क्लियरिंस	30/01/2013	29/01/2019	शून्य	

वर्तमान में केवस 2-3 के ही खाली होने की संभावना है। चूंकि दुकानों के संबंध में आबंटन, नवीकरण, उद्धमिता में परिवर्तन हेतु कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है, अत: निम्नलिखित प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ रखे गए हैं:-

(ए) जिन गतिविधियों के लिए दुकानें आबंटित की जा सकती है उनके विवरण से संबंधित सिफारिशें करने वालों सहित सभी दुकानों के लिए दिशा निर्देशों/आबंटन, नबीकरण, उद्धमिता में परिवर्तन आदि की नीतियों का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन कर सकते हैं।

(बी) मैसर्स जे डी आर लॉजिस्टिक्स के अनुरोध को, दुकानों के लिए आबंटन नीति के अंतिम रूप दिए जाने तक स्थगन में रखा जा सकता है।

निर्णय:- प्राधिकरण ने तय विचार-विमर्श के बाद, दुकान आबंटन के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए श्री राजेश कुमार डी डी सी के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति में जी आर. पी. वर्मा, सचिव और श्री धर्मवीर, वरिष्ठ ए ओ शामिल रहेंगे।

9. मैसर्स पंजाब फूड्स, मैसर्स टॉप फूड्स, मै. सिटी किचन, मै. शेफ बार-बे-क्यू आदि को आबंटित कैंटीनों के आबंटन का नवीकरण:- प्राधिकरण के समक्ष यह बिंदु रखा गया कि इस जोन में उपलब्ध सभी कैंटीनें निविदा के जरिए 3 या 5 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए

आबंटित कैंटीन स्थान थी। कैंटीनों के आबंटन की अवधि एन एस ई जेड प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बढ़ाई गई है। ऐसा अंतिम अवधि विस्तारण 05/02/2015 को हुई बैठक में 31/03/2018 तक की अवधि के लिए मंजूर किया गया था। सभी कैंटीनों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है:-

क्र.सं.	**आबंटी का नाम**	**कैंटीन**	**आरंभिक आबंटन तिथि और अवधि**	**आबंटन वैधता**	**बकाया पट्टा किराया**	**टिप्पणी**	
1.	सिटी किचन	पार्क, गेट न. 2 के निकट की कैंटीन	21/04/2006 03 वर्ष	31/03/2018 एन एस ई जेड निर्णय के अनुसार	शून्य		आबंटी ने अगले 5 वर्षों तक के लिए वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया है।
2.	पंजाब फूड्स	कैंटीन न. 01	06/12/2007 5 वर्ष	---वही---	शून्य		आबंटी ने अगले 10 वर्षों तक के लिए वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3.	टॉप फूड्स	कैंटीन न. 02	05/12/2007 5 वर्ष	---वही---	शून्य	आबंटी पट्टा किराया नियमित रूप से भुगतान कर रहा है।	---वही---
4.	शेफ बारबेक्यू	सेवा केंद्र के निकट कैंटीन	27/07/2005 5 वर्ष	---वही---	शून्य		---वही---
5.	वैभव हॉस्पिटैलिटि	एस डी एफ जे ब्लॉक में कैंटीन	14/05/2015 3 वर्ष	04/06/ 2018	1,49,922/- लगभग दो चौथाई	पी पी एक्ट 1971 के सैक्शन 4 के अंतर्गत 31/01/2017 को नोटिस जारी की गई है और 12/01/2018 को स्मरण पत्र (रिमाइंडर लैटर भी भेजा गया है।	---वही---

समिति को सूचित किया गया है कि मैसर्स पंजाब फूड्स, मैसर्स टॉप फूड्स, मैसर्स. सिटी किचन, मैसर्स शेफ बार-बे-क्यू नियमित रूप से पट्टा किराये का भुगतान कर रहे है और पूरे जोन को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। समिति ने यह भी देखा कि मै. वैभव हॉस्पिटैलिटि नियमित रूप से पट्टा किराया का भुगतान नहीं कर रहा है। उनके ऊपर 1,49,932 रूपये का पट्टा किराया बकाया है।

निर्णय: समिति ने मै. सिटी किचन, मै. पंजाब फूड्स, मै. टॉप फूड्स, मै. शेफ बार-बे-क्यू के संतोषजनक कार्य और उनके नियमित पट्टा किराए के भुगतान के मद्देनजर और यथोचित

विचार-विमर्श के बाद उनकी किराएदारी अवधि को 3 वर्षों तक इस शर्त पर बढ़ाने का निर्णय लिया है कि पट्टा किराया में प्रतिवर्ष 10% सालाना की दर वृद्धि होगी। यह निर्णय भी लिया गया है कि मै. वैभव हॉस्पिटैलिटि द्वारा कैंटीन के आबंटन के नवीकरण का अनुरोध भी पूरे पट्टा किराए के भुगतान के बाद इन्हीं नियमों और शर्तों पर स्वीकार किया जाएगा। पट्टा किराए के पूर्ण भुगतान के बाद पत्र जारी किया जाएगा तथा इस मामले को प्राधिकरण के सूचनार्थ रखा जाएगा।

10. अपील दाखिल करने हेतु आयकर विभाग को 50 लाख रूपयों का भुगतान:- यह प्रस्तुत किया गया कि आयकर विभाग ने आयकर, ब्याज आदि के कारण कर-निर्धारण वर्ष (असेसमेंट ईयर, ए वाई) 2010-11 से 2011-12 के लिए 13,36,01733/- रूपयों की मांग के विरूद्ध बैंक खाते को निष्क्रिय करने हेतु आयकर अधनियम 1961 की धारा 226 (3) के अतंर्गत नोटिस भेजा था। इस नोटिस का अनुपालन करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एन एस ई जेड शाखा के प्रबंधक ने सभी लेन-देनों पर रोक लगा दी है। इस मामले की की सूचना एफ सी ए श्री राजीव शर्मा, मै. राजीव शर्मा एंड एसोसिएट्स, नोएडा को दे दी गई थी। एफ सी ए श्री राजीव शर्मा ने अतिरिक्त सी आई टी और डी सी आई टी से 22 जनवरी 2018 और 24 जनवरी 2018 को बैठक करके उन्हें पुरानी धन वापसी (रिफंड) की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आयकर विभाग उक्त नोटिस वापस लेने पर सहमत हो गया और इसने बैंक को नोटिस के अंतर्गत कोई कार्यवाही न करने का निर्देश दिया। श्री शर्मा ने यह भी सूचित किया कि आयकर विभाग ने अब तक की कुल कर मांग का, सभी व्यापारियों को समायोजित करने के बाद तत्काल भुगतान करने के रूप में, 20% कर चुकाने को कहा जो लगभग 2.10 करोड़ रूपये था। लेकिन व्यक्तिगत उपस्थिति और प्रतिनिधित्व के बाद आयकर विभाग ए वाई 2014-15 के लिए 68.28 लाख रूपये और 1.70 करोड़ रूपये की कर वापसी (टैक्स रिफंड) को समायोजित करने के बाद विभिन्न वर्षों के अंतर्गत 50 लाख रूपये की कर जमा के लिए सहमत हो गया। तदनुसार आयकर विभाग को एन एस ई जेड प्राधिकरण के खाते में 'रेंट, रेट्स एंड टैकसेज़' उप-शीर्षक के अंतर्गत 50 लाख रूपयों की राशि का भुगतान किया गया था। माँग का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.स	कर निर्धारित वर्ष (ए वाई)	राशि (लाख में)	माँग
1.	ए वाई – 2013-14	रू. 16.00	21,53,510/-
2.	ए वाई – 2010-11	रू. 18.00	8,51,93,413/-
3.	ए वाई – 2012-14	रू. 16.00	4,62,54,810/-
	कुल	रू. 50.00	13,36,01,733/-

एन एस ई जेड प्राधिकरण के सी ई ओ और चेयरमैन की स्वीकृति के साथ ही आयकर विभाग को 50 लाख रूपयों का भुगतान कर दिया गया। अत: इसे अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

निर्णय : समिति ने सी ई ओ एंव चेयरमैन, एन एस ई जेड ए द्वारा फाइल कर लिए गए निर्णय का अनुमोदन किया।

11. मैसर्स एन पी सी सी लिमि. द्वारा पी एम शुल्क में 7% के स्थान पर 5.75% की दर से कमी: यह सूचित किया गया कि मै. एन पी सी सी (वर्तमान क्रियान्वचन एजेंसी) ने यह कहा है कि एन पी सी सी का एक मूल्यवान ग्राहक होने के नाते. वे एन एस ई जेड ए के आगामी कार्य के 7% के स्थान पर 5.75% के पी एम सी शुल्क पर निष्पादित करेंगे और एन एस ई जेड ए के अंर्तगत सभी कार्यों हेतु जी एस टी की छूट होगी। यह एन एस ई जेड प्राधिकरण के सूचनार्थ है।

निर्णय : समित ने इसे नोट किया है।

12. प्लॉट न. 192, एन एस ई जेड की सब डीड लीज़ के निष्पादन में विलम्ब के लिए मैसर्स ट्रेड परफेक्शंस का प्रस्ताव : यह सूचित किया गया है कि मै. ट्रेड परफेक्शंस ने 20/06/2017 को मै. एन एस टी सी लि. द्वारा आयोजित इ-नीलामी (इ-ऑक्शन) के जरिये प्लॉट न. 192, एन एस ई जेड पर बने भवन को खरीदा है और प्लॉट न. 192 के लिए 21/08/2017 को बोली की पुष्टि (बिड कन्फर्मशन) का पत्र इस शर्त पर दिया गया कि यह इकाई, प्राधिकरण द्वारा 23/06/2016 को हुई। इसकी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्लॉट का कब्जा प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर लीज़ डीड (पट्टा संविदा) को निष्पादित कर देगी। इस इकाई की उक्त प्लॉट का कब्जा 28/09/2017 को दिया गया था। अत: प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के अनुसार इकाई को 13/11/2017 तक सब लीज़ डीड का निष्पादन करना आवश्यक था। इकाई ने इस संबंध में एक शपथ पत्र भी दिया था, परंतु इकाई ऐसा करने में असफल रही। यह उल्लेख किया गया है कि इकाई ने 10/01/2018 को लगभग दो महीने के विलंब से टेनेंसी एग्रीमेंट (किराएदारी समझौता) के निष्पादन हेतु अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कराए हैं औरे अब इकाई ने विलंब को क्षमा करके सब लीज़ डीड को निष्पादित करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया है।

12.2 प्लॉट/एस डी एफ के आबंटन के संबंध में, एन एस ई जेड प्राधिकरण ने 23/06/2016 को हुई अपनी बैठक में निम्न निर्णय लिया :-

ए. आवेदक को आवेदन के समय तीन माह के पट्टा किराए के बराबर राशि जमा करानी होगी जो उनके नियमित पट्टा किराए में समायोजन योग्य होगी।

बी. आबंटी के प्रस्ताव के 15 दिनों के भीतर ही कब्जा लेना होगा।

सी. सब लीज़ डीड का (उप पट्टा संविदा)/टेनेंसी एग्रीमेंट (किराएदारी समझौता) को आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर ही निष्पादित करना होगा, इसमें असफल रहने पर आबंटन रद्द माना जाएगा और जमा की गई धन राशि बिना किसी संदर्भ के जब्त समझी जाएगी।

12.3 एन एस ई जेड प्राधिकरण ने 04/01/2018 को हुई अपनी बैठक में क्लॉज iii (शर्त iii) की पुनः समीक्षा की और इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया जो नीचे दिया गया है:

“सब लीज़ डीड/टेनेंसी एग्रीमेंट को आबंटी द्वारा कब्जा पाने के 45 दिनों के भीतर या प्राधिककरण द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर निष्पादित करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने पर आबंटन रद्द माना जाएगा और जमा की गई धन राशि बिना किसी संदर्भ के जब्त समझी जाएगी।” “ऐसे ही समान मामले प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखे जाएगें और प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर समय-सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।”

12.4 इकाई (ट्रेड परफेक्शन) निर्यात मोर्चे पर बहुत अच्छा कार्य करती आ रही है। इकाई का निर्यात प्रदर्शन विवरण इस प्रकार से है:-

वर्ष	निर्यात का एफ ओ बी मूल्य	फॉरेक्स बाह्यगम्य (आउटगो)	एन एफ ई आय
2012-13	150.00	59.66	90.34
2013-14	339.00	259.99	79.91
2014-15	3484.15	2925.82	558.33
2015-16	6417.08	5170.15	1246.93
2016-17	4959.78	4865.49	94.29
कुल	15350.91	13281.11	2069.80

इकाई ने 2108/2017 के बोली पुष्टिकरण पत्र (बिड कन्फर्मेशन लैटर) के अनुपालन में सभी प्रभारों को जमा करा दिया है। इस मामले में आय की कोई हानि नहीं हुई है। यह ध्यान रखते हुए कि इकाई ने निर्यात मोर्चे पर अत्यंत सराहनीय काम किया है और पट्टा किराए के मामले में जोन प्रशासन को कोई हानि नहीं हुई है, इकाई द्वारा सब लीज़ डीड को जमा करने में हुए विलंब को क्षमा करने के अनुरोध को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

निर्णय : समिति समूचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट न. 192, एन एस ई जेड के संबंध में सब लीज़ डीड के निष्पादन में हुई देरी को क्षमा करती है। समिति ने यह निर्णय भी किया कि ऐसे अन्य दूसरे मामलों की 15 दिनों के अंतराल के बाद जाँच की जा सकती है, समिति ने इकाई को सब लीज़ डीड के निष्पादन हेतु यथा समय स्मरण पत्र भी जारी किए।

13. एस डी एफ न. आई-02, एन एस ई जेड के संबंध में टेनेंसी एग्रीमेंट (किराएदारी समझौता) के निष्पादन में हुए विलंब के लिए मैसर्स पॉपूलर कार्ड टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव : यह प्रस्तुत किया गया कि मै. पॉपूलर कार्ड टेक्नोलॉजी को 13/12/2017 को एस डी एफ न. आई-02, एन एस ई जेड का आबंटन इस शर्त पर आबंटित किया गया था कि यह इकाई, प्राधिकरण द्वारा 23/06/2018 को हुई इसकी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, एस डी एफ का कब्जा प्राप्त करने की तिथि के 45 दिनों के भीतर ही टेनेंसी एग्रीमेंट को निष्पादित कर देगी। इकाई को उक्त एस डी एफ का कब्जा 03/01/2018 को दिया गया था और इस प्रकार प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, इकाई को 16/02/2018 तक टेनेंसी एग्रीमेंट का निष्पादन करना आवश्यक था। इस संबंध में इकाई द्वारा एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था, परंतु इकाई ऐस करने में असफल रही।

यह उल्लेख किया गया है कि इकाई ने 28/02/2018 को टेनेंसी एग्रीमेंट के निष्पादन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किया है जो लगभग 13 दिन विलंब से है। अब इकाई ने विलंब को क्षमा करने टेनेंसी एग्रीमेंट को निष्पादित करने देने का अनुरोध किया है क्योंकि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता किसी आवश्यक कार्य से भारत से बाहर गया हुआ था।

13.2 प्लॉट/एस टी एफ के आबंटन के संबंध में एन एस ई जेड प्राधिकरण ने 23/06/2016 को हुई अपनी बैठक में निम्न निर्णय लिया :

1. आवेदक को आवेदन करते समय तीन माह के पट्टा किराए के बराबर राशि जमा करानी होगी जो उनके नियमित पट्टा किराए में समायोजन योग्य होगी।
2. आबंटी के प्रस्ताव की तिथि के 15 दिनों के भीतर ही कब्जा लेना होगा।

3. आबंटी को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर ही सब लीज़ डीड/टेनेंसी एग्रीमेंट को निष्पादित करना होगा, इसमें असफल रहने पर आबंटन रद्द माना जाएगा और उसके द्वारा जमा की गई राशि बिना किसी संदर्भ/सूचना के जब्त समझी जाएगी।

13.3 एन एस ई जेड प्राधिकरण ने 04/01/2018 को हुई अपनी बैठक में क्लॉज iii (शर्त iii) की पुन: समीक्षा की और इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया, जो नीचे दिया गया है:

"सब लीज़ डीड/टेनेंसी एग्रीमेंट को आबंटी द्वारा कब्जा पाने के 45 दिनों के भीतर या प्राधिककरण द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर निष्पादित करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने पर आबंटन रद्द माना जाएगा और जमा राशि बिना किसी संदर्भ के जब्त मानी जाएगी।" "ऐसे ही अन्य समान मामले प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखे जाएगें और प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर समय-सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।"

13.4 यह प्रस्तुत किया गया कि इकाई ने निर्यात मोर्चे पर अत्यंत सराहनीय काम (पॉपूलर कार्ड टेक्नोलॉजी प्रा.लि.) निर्यात मोर्चे पर अत्यंत सराहनीय काम कर रही है। इकाई के निर्यात प्रदर्शन का विवरण इस प्रकार से है:-

वर्ष	निर्यात का एफ ओ बी मूल्य	फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) बहिगर्मन	एन एफ ई आय
2012-13	1822.89	1250.48	572.41
2013-14	2559.37	1684.13	910.24
2014-15	2279.40	1367.77	911.63
2015-16	2428.01	1603.64	824.37
2016-17	2506.02	1459.39	1046.63
कुल	11630.69	7365.41	4265.28

यह ध्यान रखते हुए कि इकाई ने निर्यात मोर्चे पर अत्यंत सराहनीय काम करती रही है और पट्टा किराए के संबंध में जोन प्रशासन को कोई हानि नहीं हुई है, इकाई द्वारा टेनेंसी एग्रीमेंट को जमा कराने में हुए विलंब को क्षमा कराने के अनुरोध को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

निर्णय : समिति समूचित विचा□-विमर्श के उ□रां□ एस डी एफ न. आई-2, एन एस ई जेड के संबंध में सब लीज़ डीड के निष्□ा□न में हुई देरी को क्षम□ करती है। समिति ने यह निर्णय भी किय□ कि ऐसे ही दूसरे अन्य म□मलों की 15 दिनों के अंतरा□ के बा□ जाँ□ की ज□ सकती है, समिति ने इका□ को सब लीज़ डीड को निष्□ा□न करने हेतु यथ□ समय स्मरण □त्र भी जा□ी किए।

14. मैसर्स खुर□न□ एंड खुर□न□ इंटरनेशनल अट□र्नीज़ क□ लीगल रीटेनर (क□नूनी प्रतिधा□ण) के रू□ में चयन क□ अनुमोदन :- यह बत□य□ गय□ कि इस क□र्या□य के 11/06/2014 के □त्र के अनुसा□ मै. आर ए डी एंड □□र्टनर्स को 30,000/- रू प्रतिम□ह म□सिक रिटनरशि□ आधा□ □र रीटेनर्स के रू□ में एक वर्ष की अवधि के लिए जोड़□ गय□ थ□ जिसे इन्हीं नियमों और शर्तों □र दो वर्ष तक और बढ़□य□ ज□ सकत□ थ□। मौजूद□ समझौत□ अवधि को 30/11/2017 तक बढ़□य□ गय□ थ□। इसके अल□□□ इस क□र्या□य ने, केंद्रीय सरका□ के अन्य एस ई जेड में अ□न□ए गए विभिन्न म□नदंडों के मद्देनजर नियम व शर्तों को अंतिम रू□ देने हेतु, एक निविद□ समिति भी गठित की थी। नियम व शर्तों को अंतिम रू□ देने के बा□, निविद□ अधिसूचन□, व्य□□क प्रचा□ देते हुए, इसकी वेबसा□ट तथ□ दो प्रमुख सम□चा□ □त्रों में भी प्रक□शित हुई थी। हम□री वेबसा□ट www.nsez.gov.in □र उ□लब्ध ई-निविद□ मॉड्यूल □र कुल □ाँ□ (5) क्वोटेशन (निवेदित भा□) प्रा□ हुए थे। तकनीकी (बिडस) की जां□ के दौरा□ केवल चा□ फर्में ही म□□दंडों के योग्य थी। इसके बा□, इन चा□ फर्मों की वित्तीय बोलियों को खोल□ और विश्लेषण किय□ गय□। इसक□ सा□ांश नीचे दिय□ गय□ है:-

क्र.सं.	फर्म क□ ना□	ई एम डी	रा□शि (रू.) प्रतिमा□	स्थिति	टिप्□णी
1.	मैसर्स कौशिक एंड एसोसिएट्स	डी डी	रू. 1,00,000/-	एल-4	तकनीकी रू□ से योग्य
2.	मै. यूके सी ए एंड □□र्टनर्स	डी डी	रू. 75,000/-	एल-3	
3.	धीर एंड धीर एसोसिएट्स	डी डी	रू. 10,000/-	एल-2	
4.	मै. खुर□न□ एंड खुर□न□ इंटरनेशनल अट□र्नीज़	ऑनलइन	रू. 3,000/-	एल-1	
5.	मै. आर एस आर एसोसिएट्स	□	-------	-------	योग्य नहीं

मै. खुराना एंड खुराना इंटरनेशनल अटार्नीज़, सूट न. 304, पहाड़पुर बिजनेस सेंटर, 21, नेहरू प्लेस ग्रींस, नई दिल्ली ने सबसे कम दर - रू. 3,000/- प्रति माह के मासिक रिटेनरशिप आधार पर निविदा भाव दिए थे। अतः इस कार्यालय ने मै. खुराना एंड खुराना इंटरनेशनल अटार्नीज़ को 21/02/2018 के इस कार्यालय के पत्रानुसार लीगल रिटेनर (कानूनी प्रतिधारक) के रूप एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे इन्हीं नियमों और शर्तों पर दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. कार्य पर रखा था। फाइल पर लिया गया यह निर्णय प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु पेश किया गया है।

निर्णय : समिति ने निर्णय का अनुमोदन किया।

15. एन बी सी सी को सौंपी गई चालू (कार्यरत) परियोजनाओं की समीक्षा :- मै. एन बी सी सी को सौंपी गई परियोजनाओं का विवरण प्राधिकरण के समक्ष मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) के लिए रखा गया था।

मै. एन बी सी सी ने प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व किया था। एन एस ई जेड प्राधिकरण ने सभी परियोजनाओं की प्रगति की एक-एक करके मॉनिटरिंग की। चेयरमैन ने एन बी सी सी इंडिया लि. को सभी परियोजनाओं और एस डी एफ न. एम ब्लॉक के कब्जे को सौंपने की औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा जिससे कि इस ब्लॉक का स्थान आवेदक इकाइयों को सौंपा जा सके।

16. एन पी सी सी को सौंपी गई चालू (कार्यरत) परियोजनाओं की समीक्षा :- मै. एन पी सी सी को सौंपी गई परियोजनाओं का विवरण प्राधिकरण के समक्ष मॉनिटरिंग के लिए रखा गया था।

मै. एन पी सी सी ने प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व किया था। एन एस ई जेड प्राधिकरण ने सभी परियोजनाओं की प्रगति की एक-एक करके समीक्षा की। चेयरमैन ने एन पी सी सी को सभी परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट सिस्टम (ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था) का निर्माण भी शामिल है। मै. एन पी सी सी ने उक्त परियोजना का कब्जा तयशुदा समय सीमा, अर्थात् नवंबर 2018 तक या उससे पहले सौंपने का आश्वासन दिया।

17. एन एस एल को सौंपी गई सेवाओं के निष्पादन की समीक्षा :- मैसर्स एन एस एल को सौंपे गए कार्य का विस्तृत विवरण प्राधिकरण के समक्ष मॉनिटरिंग के लिए रखा गया था।

प्राधिकरण ने मैसर्स एन एस एल के जरिए उद्गमित हो रही सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की और मै. एन एस एल को अपने सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

सभापति को धन्यवाद के मत के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(एस. एस. शुक्ला)
संयुक्त विकास आयुक्त

(डॉ. एल.बी.सिंघल)
चेयरमैन एंव सी ई ओ